उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–18/2022–23

प्रेमलता मरण्डी

बनाम्

बबलू हाँसदा एवं अन्य

–: आदेश :–

दिनांक 4/10/23

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता प्रेमलता मरण्डी, पति–स्व0 शिवलाल मरण्डी, सा0–मटिहानी, अंचल–पथरगामा, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–08/2014–15 के आदेश दिनांक–16.06.2022 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने पी0ए0 केश नं0–08/2014–15 के आदेश दिनांक–16.06.2022 के द्वारा उत्तरवादी बबलू हाँसदा को मौजा–मटिहानी थाना नं0–96 का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मटिहानी थाना नं0–96, प्रधानी मौजा है। शिवलाल मुर्मू उक्त मौजा के गत प्रधान थे, जिनकी नियुक्ति अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–13/2008–09 के आदेश दिनांक–28.09.2009 के द्वारा की गयी थी। गत प्रधान शिवलाल मुर्मू की मृत्यु दिनांक–10.05.2010 को हो गयी। गत प्रधान की मृत्यु के बाद उनकी पत्नि प्रेमलता मरण्डी ने संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन दाखिल किया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आवेदिका के आवेदन पर अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। इसी बीच उत्तरवादी बबलू हाँसदा ने भी उक्त मौजा–मटिहानी के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन दाखिल किया। उक्त आवेदन पर भी अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। आदेश के अनुपालन में अंचल अधिकारी, पथरगामा ने जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया कि मौजा–मटिहानी प्रधानी मौजा नहीं है और अंचल अधिकारी, पथरगामा ने संथाल

परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत उक्त मौजा के प्रधान नियुक्त करने के लिए अनुशंसा किया गया। अंचल अधिकारी, पथरगामा के प्रतिवेदन पर अपीलकर्त्ता के द्वारा आपत्ति किया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उक्त मौजा प्रधानी मौजा है और उनके स्वर्गीय पति–शिवलाल मुर्मू उक्त मौजा के अंतिम प्रधान थे। इसलिए उत्तराधिकारी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाय। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आपत्ति पर विचार किये बिना एवं साथ ही अपीलकर्त्ता के कागजात पर विचार किये बिना ही गलत ढंग से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत उत्तरवादी बबलू हाँसदा को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। जबकि प्रधान का पद वंशानुगत होने के कारण अगला उत्तराधिकारी को प्रधान नियुक्त किया जाता है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने मनमाने तरीके से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत उत्तरवादी को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया है। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–मटिहानी प्रधानी मौजा है। यद्यपि कि उक्त मौजा में प्रधानी जोत जमीन नहीं है। लेकिन उक्त मौजा में वैद्य रूप से कोई नियुक्त प्रधान नहीं होने के कारण लगान वसूली का कार्य राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाता था। इसलिए मौजा खास चला आ रहा था। एक प्रेमलता मरण्डी, पति–शिवलाल मुर्मू ने उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत आवेदन दाखिल किया। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा के न्यायालय द्वारा पी0ए0 केश नं0–8/2014–15 प्रारंभ किया गया एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा अंचल अधिकारी, पथरगामा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा पत्रांक–487/रा0 दिनांक–06.12.2013 एवं पत्रांक–192/रा0 दिनांक–13.03.2021 के द्वारा दो प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि उक्त मौजा में कोई प्रधान नहीं होने के कारण खास चला आ रहा है एवं उक्त मौजा का लगान वसूली राजस्व कर्मचारी के द्वारा किया जाता है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया

गया कि प्रेमलता मरण्डी जमाबंदी सं0–17 के रैयत नुनका मुर्मू, पे0–चतुर मुर्मू वो अभी मुर्मू वो दुर्गा मुर्मू, पेसरान–कुलू मुर्मू के उत्तराधिकारी है। उक्त जमाबंदी के किसी भी रैयत का नाम सेटलमेंट पर्चा में प्रधान के रूप में दर्ज नहीं है। अंचल अधिकारी, पथरगामा के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत दायर आवेदिका प्रेमलता मरण्डी के आवेदन को खारिज किया गया एवं संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया गया। विहित प्रपत्र Form A में नोटिश निर्गत कर उक्त मौजा के जमाबंदी रैयतों के जीवित वारिशानों को बुलाया गया। निर्धारित तिथि को अंचल अधिकारी, पथरगामा के द्वारा उक्त मौजा–मटिहानी के जमाबंदी रैयतों के वर्तमान जीवित वारिशानों की सूची प्रस्तुत किया गया। उनका आगे कथन है कि उक्त मौजा के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए उत्तरवादी बबलू हाँसदा ने भी संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन किया था। निर्धारित तिथि को रैयत इकट्ठा हुए। रैयतों के द्वारा बबलू हाँसदा के पक्ष में अपना राय दिया गया तथा रैयतों के राय के आधार पर उत्तरवादी बबलू हाँसदा को उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया गया और अपनी नियुक्ति के आधार पर कबूलियत एवं जमानत की राशि जमा कर प्रधानी पट्टा प्राप्त हुआ और तब से उत्तरवादी प्रधान के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनका आगे कहना है कि शिवलाल मुर्मू उक्त मौजा के गत प्रधान नहीं थे। उन्होंने न तो जमानत की राशि जमा किया गया था और न ही कबूलियत दाखिल किया था, जो कानून का अनिवार्य प्रावधान है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि शिवलाल मुर्मू उक्त मौजा के गत प्रधान थे। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश विधि सम्मत है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गत सर्वे सेटलमेंट के पर्चा में मौजा–मटिहानी थाना नं0–96 में किसी प्रधान का नाम दर्ज नहीं है। अपीलकर्त्ता प्रेमलता मरण्डी के द्वारा वर्तमान अपील वाद में दावा किया गया है कि उनके पति शिवलाल मुर्मू को अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–13/2008–09 के आदेश दिनांक–28.09.2009 के द्वारा उक्त मौजा का प्रधान नियुक्त किया

गया था। लेकिन शिवलाल मुर्मू के द्वारा कबूलियत दाखिल नहीं किया गया था और न ही उनके द्वारा उक्त मौजा के प्रधान के रूप में कार्य किया गया है। यद्यपि कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत प्रक्रिया प्रारंभ कर मौजा के रैयतों से राय प्राप्त किया गया है। लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 के अनुसार दो तिहाई रैयतों का कॉरम पूरा किये बिना ही रैयतों का राय लिया गया। चूँकि अंचल अधिकारी, पथरगामा से प्राप्त जमाबंदी रैयतों की सूची में कुल–194 वर्तमान वारिशानों का नाम दर्ज है और उक्त प्राप्त सूची के अनुसार दो तिहाई रैयतों का कॉरम पूरा करने के लिए 129 रैयतों की उपस्थिति अनिवार्य है। जबकि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा 107 वर्तमान वारिशानों की उपस्थिति में प्रधान की नियुक्ति के लिए रैयतों से राय लिया गया है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा उक्त नियमावली के नियम 3 का पालन नहीं किया गया है। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पी0ए0 केश नं0–08/2014–15 के आदेश दिनांक–16.06.2022 को निरस्त करते हुए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियमानुसार प्रधान नियुक्त करने के लिए अभिलेख अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।
04/10/23

उपायुक्त,
गोड्डा।
04/10/23

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं० :– 76 दि०– 30.10.23

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदा०, गोड्डा को उनके PA Case No–08/14-15 [प्रेमलाल हेम्ब्रम बनाम मौजा मटिहानी] मूल अभिलेख के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
अनुलग्नक :– यथोक्त।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा
30/10/23

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:38:12 +05:30
Location: 192.168.1.37